**12 जून, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 58वीं बैठक के लिए एजेंडा**

**मद संख्या 58.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध**

**(i) अंडूरकोणम गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सनटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**यह एसईजेड इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल (टेकनोपार्क) द्वारा विकसित किया जा रहा है जो केरल सरकार द्वारा प्रमोट की गई स्वायत्त सोसाइटी है। 17.7120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 नवंबर, 2012 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स सनटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में 4.0469 हेक्टेयर (10 एकड़) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने तथा इस प्रकार सृजित सुविधाओं को अपनी नियंत्रक कंपनी मैसर्स सनटेक बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पट्टा पर देने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 14 फरवरी, 2013 भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित अनंतिम पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें 4.069 हेक्टेयर के लिए नकद भुगतान 10,57,24,709 रुपए (दस करोड़ सतावन लाख चौबीस हजार सात सौ नौ रुपए मात्र) तथा 90 साल की पट्टा अवधि के लिए वार्षिक किराया 25000 रुपए प्रति एकड़ है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.2 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध**

**(i) एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध**

**65.571 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 32.712 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 32.859 हेक्टेयर हो जाएगा।**

**विकासक ने इस एसईजेड के संबंध में सन्निकटता के मुद्दे पर अपने अनुरोध को आधारित किया है। जिला परिषद की एक रोड आईटी एसईजेड के अंदर से गुजर रही है तथा यह एसईजेड के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है क्योंकि एसईजेड अपनी सन्निकटता गंवा रहा है। भूमि अभिलेखों तथा एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व केआईएडीबी द्वारा प्रस्तुत किए गए साइट मैप के अनुसार भूमि क्षेत्र से सड़क के गुजरने का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अलावा तत्कालीन विकास आयुक्त द्वारा किए गए साइट के निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित क्षेत्र में ऐसी कोई सड़क मौजूद नहीं पाई गई।**

**विकासक ने सूचित किया है कि मंगलौर में जिला परिषद के प्राधिकारियों ने केआईएडीबी की लागत पर एसईजेड की परिधि में मौजूदा सड़क को शिफ्ट करने के लिए उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, अब विकासक ने क्षेत्रफल में कटौती के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।**

**विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(ii) अपने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट आईटी पार्क, सिरुसेरी, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

**10.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

**विकासक ने अपने एसईजेड के विस्तार के लिए 5.666 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.516 हेक्टेयर हो जाएगा।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / विस्तार के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।**

**विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.3 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध**

**(i) 42.7045 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड जो सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

**42.7045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था।**

**अब विकासक ने निम्नलिखित आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है :**

- **(i) अधिसूचित क्षेत्र के अंदर कुछ छोटे भूखंडों का अधिग्रहण करना संभव नहीं हुआ है जिससे सन्निकटता प्रभावित हो रही है।**
- **(ii) हरियाणा एसईजेड अधिनियम के तहत एसईजेड को अधिसूचित कराना संभव नहीं हुआ है जिसके कारण मई 2007 में प्रस्तुत ले आउट प्लान संस्वीकृत नहीं हो सका।**
- **(iii) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।**

**एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(ii) 10.347 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो कोल्तूर गांव, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

**10.347 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि मुकदमा के कारण भूमि के स्वमित्व के बारे में निर्णय लेना कंपन के नियंत्रण से परे है और इसलिए विकासक ने विमुक्तीकरण के लिए आवेदन किया है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।**

**एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(iii) 440.714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड जो ग्राम मोहम्मदपुर झरसा, घरौली खुर्द, खांडसा एवं हरासरु, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

**440.714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 14 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था।**

**विकासक ने अपने एसईजेड को पूर्णत: विमुक्त करने के लिए आवेदन किया है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने लागू ड्यूटी के भुगतान तथा राज्य सरकार से अनापत्ति के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है।**

**एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**खोपटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्र एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**उपर्युक्त विकासक को 8 अगस्त 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड नियमावली के अनुसार, उपर्युक्त सैद्धांतिक अनुमोदन 7 अगस्त, 2007 तक वैध था। विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन के 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 7 अगस्त, 2013 को समाप्त हो रहा है।**

विकासक ने एक साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 7 अगस्त, 2014 तक अपने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अब तक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा नए भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक तथा आर एंड आर विधेयक के अधिनियमन के बाद (जो विलंबित हुए हैं) सन्निकटता स्थापित करने के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड ने यह भी टिप्पणी की है कि विकासक ने अब तक सभी निजी भूमियों का अधिग्रहण कर लिया है। वह सरकारी भूमि पर नहीं बैठा है।

विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए सैद्धांतिक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 58.5 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) 16 जून, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 जून, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 16 जून, 2013 को समाप्त हो रहा है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने में विलंब के कारण वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि फर्मा कंपनियों ने प्रत्यक्ष कर कानूनों में परिवर्तन के कारण एसईजेड में अपनी यूनिटों की स्थापना पर रोक लगा दिया है। तथापि, विकासक को उम्मीद है कि वैधता अवधि बढ़ाए जाने के 12 से 18 माह के अंदर यूनिटें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देंगी।

**विकासक ने एसईजेड परियोजना के लिए भूमि में 70.47 करोड़ रुपए तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं में 104.67 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने चारदीवारी, कंक्रीट रोड, स्टार्म वाटर ड्रेन, टोल बूथ, लैंडस्केपिंग के साथ प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण पूरा कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(ii) सर्वे नंबर 1.1, रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड से अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 मार्च, 2008 को प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 16 जून 2013 तक दूसरा विस्तार प्रदान किया गया था :**

- **(i) जब तक परियोजना 16 जून 2013 तक अधिसूचित नहीं होगी, अनुमोदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा;**
- **(ii) विकास आयुक्त, वीएसईजेड तिमाही आधार पर परियोजना स्टेटस के प्रगति की निगरानी करेंगे तथा वाणिज्य विभाग को रिपोर्ट करेंगे यदि विकासक परियोजना स्थापित करने की दिशा में संतोषप्रद प्रगति नहीं करेगा।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं कर सकता परंतु उनका अनुपालन न करने के लिए कारण उपलब्ध कराए हैं। मुख्य कारण यह है कि उसके परिसर की चारदीवारी से 500 मीटर के अंदर कोई विकास कार्य न करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया (उनकी भूमि डीआरडीओ द्वारा लगाई गई सीमा के अंदर आती है)।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने नोट किया है कि भूमि के मूलधारक अर्थात एपीआईआईसी विकास रहित क्षेत्र की सीमाओं में छूट प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा विकासक ने दोहराया है कि वे यथाशीघ्र कार्य शुरू करने के लिए पूर्णत: तैयार हैं।**

**तद्नुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(iii) ग्राम कल्याणगढ़ एवं गांगढ़, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एवं फाइन केमिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 अप्रैल, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 अप्रैल, 2008 को प्रदान किया गया था। 106.83.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था।**

**एसईजेडी के एलओए की वैधता अवधि 16 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो गई। विकासक ने इस तिथि के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि विकास योजना को अनुमोदित कराने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण कार्य में विलंब हुआ है। तथापि, अब कार्य प्रगति पर है और इसलिए वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।**

**विकासक ने 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार भूमि तथा अन्य विकास कार्य पर 74.09 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने चारदीवारी, प्रवेश द्वार, कस्टम / कार्यालय भवनों, स्टार्म वाटर / सीवेज नेटवर्क, जलापूर्ति आदि का कार्य लगभग पूरा कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(iv) 20 अप्रैल, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) ब्लाक 9, कक्कानाड गांव, कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अप्रैल, 2008 को प्रदान किया गया था। आज तक एसईजेड अधिसूचित नहीं हुआ है।**

**एसईजेडी के एलओए की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो गई। विकासक ने इस तिथि के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए समय से आवेदन किया था। तथापि, एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के संबंध में विकासक से अन्य आवेदन लंबित होने के कारण अनुरोध को रोक दिया गया, जिसमें सन्निकटता से संबंधित समस्याएं थीं। 18 जनवरी, 2013 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अब इसका समाधान किया जा चुका है।**

**इस बीच विकासक ने अब एक साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 20 अप्रैल, 2014 तक अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उसे परियोजना को पूरा करने के लिए समय चाहिए। विकासक ने परियोजना की कार्यान्वयन अनुसूची प्रस्तुत की है जिसके अनुसार चरण 1 अर्थात 15 लाख वर्गफीट का निर्माण 450 करोड़ रुपए के निवेश से 2015 तक पूर्ण हो जाएगा।**

**यह एसईजेड एसपीवी द्वारा विकसित किया जा रहा है जिसमें केरल सरकार पार्टनर है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने 20 अप्रैल, 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(v) प्लाट नंबर टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 13 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत राज लिमिटेड से अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 मार्च, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 13 मार्च, 2013 तक है।**

**विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि परियोजना पूरी हो गई है तथा इसे पूर्णत: क्रियाशील बनाने के लिए 12 माह के और समय की आवश्यकता है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि लगभग 167200 वर्गमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा प्रचालन के लिए भवन तैयार है। वस्तुत: एक अनुमोदित यूनिट अर्थात मैसर्स डी गिप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जून - जुलाई 2013 तक अपना प्रचालन शुरू कर सकती है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(vi) 13 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिक एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 जुलाई, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 13 जुलाई, 2013 तक है।**

**विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उसकी परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है तथा उन्हें उम्मीद है कि सितंबर - अक्टूबर 2013 तक 1 भवन क्रियाशील हो सकता है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(vii) ग्राम सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1011.264 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 24 जून, 2013 तक वैध था।**

**विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उन्होंने 436.194 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा शेष क्षेत्रफल के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। विकासक ने एसईजेड में बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए 4700 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने दो साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(viii) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मार्च, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 19 जून, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 5 मार्च, 2013 तक वैध था।**

**विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि चरण 1 में लगभग 60 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो गया है तथा मार्च 2014 से पहले शेष 40 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो जाएगा।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(ix) सावली जीआईडीसी संपदा, मजुसार गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 23 जून, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 जून, 2012 तक वैध थी।**

**विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि एक भी यूनिट ने निर्माण शुरू नहीं किया है हालांकि अवसंरचना सृजन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। तथापि, इन्होंने एसईजेड यूनिटें स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करना शुरू कर दिया है तथा हाल ही में यूनिट स्थापित करने के लिए चार आवेदकों को एलओपी जारी किया गया है। विकासक ने एसईजेड क्षेत्र के लिए सभी बुनियादी अवसंरचना जैसे कि चारदीवारी, सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, जल वितरण कार्य, बिजली आदि पूरी कर ली है।**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(x) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन के 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 22 मई, 2013 को समाप्त हो गया है।**

**विकासक ने एसईजेड यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू करने में विलंब के आधार पर वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने एसईजेड में सड़क, ड्रेन, फैक्ट्री शेड, चारदीवारी आदि सहित बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि यद्यपि परियोजना तैयार है, परंतु विकासक उत्पादन शुरू नहीं कर सका क्योंकि 21 मार्च, 2012 को जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देशों के अनुसरण में समवत वितरण लाइसेंस का दर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत अपीलीय अधिकरण, दिल्ली (एपीटीईएल) के समक्ष उनकी अपील लंबित है और शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है।**

**तदनुसार विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक और साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xi) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन के 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 29 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गया है।**

**विकासक ने विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के आधार पर वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने 1707 करोड़ रुपए के कुल निवेश के विरुद्ध**

887 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा एसईजेड में अन्य संस्थाओं ने 10905.82 करोड़ रुपए के अपने सामूहिक निवेश के विरुद्ध सामूहिक रूप से 5237.98 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक और साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2012 तक वैध थी।

13 नवंबर, 2012 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा 18 नवंबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार निदेश दिया :

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की है क्योंकि यह राज्य पर्यावरण समिति के पास लंबित है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2013 (अनुबंध 1) के माध्यम से विकासक ने समय सीमा के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :

(i) भवन प्लान 3 जनवरी 2013 को अनुमोदित किया।
(ii) पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है
(iii) निर्माण शुरू करने की तिथि - पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी हरियाणा राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (एचएसईएसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है जिसकी वजह से एक साल से अधिक समय से उनकी परियोजना में विलंब हुआ है। अब चूंकि अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है इसलिए विकासक को शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने पर विचार करने के लिए विकासक से उपर्युक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रेषित किया है।

विकासक का संशोधित अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xiii) प्लाट नंबर सी-01, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.11753 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 14 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर, 2012 तक वैध थी।**

**विकासक ने बताया है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा उनका लेआउट प्लान अनुमोदित न होने के कारण पहले चरण के निर्माण की उनकी योजना शुरू नहीं हो सकी। उनको नवंबर 2014 तक परियोजना के चालू होने का विश्वास है यदि वे अगले दो तीन माह के अंदर अपने प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xiv) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए दिनांक 16 जनवरी, 2006 के माध्यम से मंजूरी से अवगत कराया गया था। 3.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 15 जून, 2013 तक वैध थी।**

**विकासक ने बताया है कि एसईजेड का मास्टर प्लान तथा जोनिंग प्लान यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तथापि, ईडीसी / आईडीसी के भुगतान के लिए विकासक के मामले के लंबित होने के कारण डीटीसीपी, हरियाणा से जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं तथा उन्होंने बताया है कि एसईजेड के पूर्णत: विकास के लिए भवन प्लान के अनुमोदन की तिथि से उनको 36 माह की आवश्यकता होगी।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xv) टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2013 तक वैध थी।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने भूमि के अधिग्रहण, बुनियादी अवसंरचना के विकास तथा लगभग 200000 वर्गफीट के अनफिनिश्ड निर्मित क्षेत्र के निर्माण, जो पूर्ण होने के कगार पर है, में 31 जनवरी 2013 तक की स्थिति के अनुसार 86.73 करोड़ रुपए की रकम का निवेश किया है। विकासक ने बताया है कि टावर ए के विकास का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है तथा मई 2013 तक इसके पूर्ण एवं क्रियाशील हो जाने की उम्मीद है। उक्त एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।**

**विकासक ने यह भी सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 21 अक्टूबर 2011 को स्टे आर्डर जारी किया था जिसमें एनसीआर योजना बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार मास्टर प्लान 2021 में एनसीआर योजना बोर्ड की टिप्पणियों एवं निदेशों के शामिल होने तक विकास प्राधिकरण तथा उसके आवंटियों को कोई विकास कार्य न करने तथा मास्टर प्लान 2021 को लागू न करने का निदेश दिया गया। तथापि, इसे उच्च न्यायालय द्वारा 24 अगस्त 2012 को निरस्त कर दिया गया तथा 21 अक्टूबर 2011 से 24 अगस्त 2012 की अवधि को जीरो अवधि घोषित किया गया। विकासक ने बताया है कि 10 माह से अधिक की इस जीरो अवधि के दौरान वे 8 अगस्त 2008 को प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने के बावजूद कोई निर्माण कार्य नहीं कर सके।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(iii) इच्छापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2013 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2013 तक वैध थी।**

**विकास आयुक्त, केएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अधिसूचित एसईजेड को विकसित करने के लिए कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसके लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए माल एवं सेवाओं का सीमांकन एवं अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकांश अवसंरचना कार्य पूरा कर लिया है तथा 31 जनवरी 2013 तक की स्थिति के अनुसार कुल 109.04 करोड़ रुपए का व्यय किया है।**

**उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xvii) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अप्रैल, 2013 के बाद (सातवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अप्रैल, 2013 तक वैध थी।**

**विकासक ने सूचित किया है कि :**

- **(i) उसके सह विकासक अर्थात मैसर्स इनफोसिस ने साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;**
- **(ii) निर्दिष्ट अधिकारी तथा अधिकृत अधिकारी दोनों की नियुक्ति हो चुकी है;**
- **(iii) अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए उन्होंने एनएसडीएल के यहां अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है; और**
- **(iv) दिसंबर 2014 तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की उम्मीद है।**

**विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xviii) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 30 मई, 2013 तक वैध है।**

**विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि तमिलनाडु में विद्युत की असामान्य कमी के कारण कुछ टेक्सटाइल यूनिटें अपना प्रचालन शुरू करने की इच्छुक नहीं हैं। तथापि, यूनिट के लिए सहायता को सुदृढ़ करने के लिए विकासक विद्युत परियोजना लागू कर रहा है तथा उपकरणों का आयात किया जा रहा है।**

**विकासक ने रैपिंग भवन, बुनाई भवन, गारमेंट भवन का निर्माण कर लिया है तथा विद्युत परियोजना के लिए जलाशय के प्रयोजनार्थ खुदाई का कार्य किया गया है ताकि 75 लाख लीटर पानी का भंडारण किया जा सके। उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए दिसंबर 2013 की समय सीमा का प्रस्ताव किया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xix) नवल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक 6 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का एक साल का तीन बार विस्तार तथा छ: माह का एक विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 30 मई, 2013 तक वैध है।**

**विकासक ने इस आधार पर चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा अप्रैल 2014 तक उसे एसईजेड को क्रियाशील करने की उम्मीद है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xx) घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 25 जून, 2013 तक वैध है।**

**विकासक ने इस आधार पर चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थितियों के कारण आईटी कंपनियों से प्रतिबद्धता प्राप्त न होने की वजह से वे प्रचालन शुरू नहीं कर सके।**

**विकासक ने परियोजना के पहले भवन के निर्माण के लिए 156 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 63 करोड़ रुपए का एफडीआई का निवेश आ चुका है तथा वे परियोजना में 162 करोड़ रुपए का और एफडीआई लाना चाहते हैं। जुलाई 2013 तक प्रचालन के लिए उनकी परियोजना के पहले चरण के तैयार हो जाने की उम्मीद है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xxi) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एलओए की वैधता अवधि दो बार बढ़ाई गई तथा यह 25 जून, 2011 को समाप्त हो गई है।**

**जब विकासक ने इस एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड के कार्यालय से संपर्क किया तो उससे अपने आवेदन में विलंब के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। विकासक ने सूचित किया कि उन्होंने गलती से अपना आवेदन सीधे वाणिज्य विभाग को भेज दिया था। तथापि, पाया गया कि यह वांछित फार्मेट अर्थात फार्म सी-1 में नहीं है। इसलिए एसईजेड द्वारा विकासक से वांछित फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद विकासक ने 26 जून 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एसईजेड में किए गए अवसंरचना विकास कार्य की जांच की है (अनुबंध 2) तथा नोट किया है कि विकासक ने इस संबंध में अच्छी प्रगति की है।**

**तद्नुसार विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**उल्लेखनीय है कि विकासक द्वारा 26 जून, 2014 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा उसकी सिफारिश की गई है। इस बीच विकासक ने 26 जून, 2014 तक अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए निर्धारित फार्म सी-1 में नया आवेदन किया है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xxii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अप्रैल, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध**

**विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एलओए को तीन पूर्ण वर्ष के**

**विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा 6 माह का एक आखिरी विस्तार प्रदान किया गया जिसकी वैधता 25 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने इस आधार पर एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि मंदी के कारण व्यवसाय ठप्प हो गया था और इसलिए विकास कार्य नहीं किया जा सका तथा मांग पूरी नहीं की जा सकी। उन्होंने यह भी बताया है कि मांग धीरे धीरे बढ़ रही है तथा हाल ही में एसईजेड में कुल 18 एकड़ की भूमि के लिए चार आवंटन किए गए हैं।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने मार्च 2013 तक की स्थिति के अनुसार 5.08 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xxiii) 6 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो कांडला एवं टूना, गुजरात में बहु उत्पाद्र एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

**कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) को 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए 7 मई, 2007 को औपचारिक एलओए प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 6 मई, 2013 तक वैध है।**

**विकासक ने एक साल की अगली अवधि के लिए अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि अधिसूचना के प्रयोजनार्थ विकासक को भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र जिसमें विकासक के कानूनी कब्जा तथा अप्रतिसंहार्य अधिकारों के बारे में उल्लेख होगा तथा गुजरात सरकार से सहमति प्राप्त करनी है।**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मामले की सिफारिश की है।**

**तथापि, विकासक ने 29 अप्रैल, 2013 को अनुरोध किया था कि चूंकि उसके एलओए की वैधता अवधि 6 मई, 2013 को अर्थात 7 जून, 2013 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व समाप्त हो जाएगी इसलिए इसके लिए कृपया आवश्यक विस्तार अनुमोदित किया जाए। केपीटी ने बताया है कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में केपीटी के विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्टे नहीं दिया गया है। विकासक ने यह भी बताया है कि वे भारत सरकार का संगठन हैं और इसलिए प्रस्तावित एसईजेड राष्ट्रीय महत्व की परियोजना होने के कारण गांधीधाम - कच्छ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करेगी। अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 मई, 2013 के माध्यम से पोत परिवहन मंत्रालय ने विकासक के एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले का समर्थन किया है।**

**वाणिज्य विभाग में विकासक के अनुरोध की जांच की गई तथा विकासक को 6 मई, 2013 के बाद 6 जुलाई, 2013 तक औपचारिक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय इस शर्त के अधीन लिया गया कि इस एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर अंतिम निर्णय 7 जून, 2013 को होने वाली अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।**

**6 जुलाई, 2014 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा वाणिज्य विभाग द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय की पुष्टि के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.6 : चौथे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) 31 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पीएंडजे क्रिटेकेम प्राइवेट लिमिटेड जो भडूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहुत उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट को 26 सितंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 31 मार्च, 2013 तक वैध है।**

**यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है तथा इस समय तक वे परियोजना को पूर्ण कर लेंगे तथा निर्यात प्रचालन शुरू करेंगे।**

**विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(ii) 27 जुलाई, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 28 जुलाई, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, मिहान द्वारा तीन साल का समय विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक साल का अर्थात 27 जुलाई, 2013 तक चौथा समय विस्तार प्रदान किया गया।**

**अब विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने दो साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 27 जुलाई, 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है। वैधता अवधि बढ़ाने के कारण इस प्रकार हैं :**

- **(i) यूनिट ने विभिन्न वेंडरों को अनेक आर्डर जारी किए हैं।**
- **(ii) इसने भूमि पर 24 करोड़ रुपए तथा निर्माण पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।**

**विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने दो साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(iii) 23 अप्रैल, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के माध्यम से मिहान एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड द्वारा दो विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 30 जून, 2013 तक तीन विस्तार प्रदान किया जा चुका है।**

**यूनिट ने 30 जून, 2014 तक अपने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि यूनिट परियोजना में 311 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है तथा यह कि चार आईटी भवन, चार बीपीओ भवनों तथा एक फूड कोर्ट भवन का निर्माण उन्नत चरण पर है। इसके अलावा कंपनी ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित अधिकांश प्लांट एवं उपकरण के लिए आर्डर दे दिया है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(iv) 4 अगस्त, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड जो पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 5 फरवरी, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।**

**यूनिट को नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा मूल वैधता अवधि के बाद दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 4 अगस्त, 2013 तक तीन विस्तार प्रदान किए गए।**

**यूनिट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विलंब से स्वीकृति प्राप्त होने के आधार पर 4 अगस्त, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने आज तक 120 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने 320 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से चरण 1 के विकास के लिए मैसर्स एलएंडटी को नियुक्त किया है।**

**यूनिट की प्रगति को नोट करने के बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 3)।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(v) 30 जून, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीकेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 26 सितंबर, 2008 के माध्यम से दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनिकेम एलएलपी को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा दो विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए जो 30 जून, 2013 तक वैध था।**

**यूनिट ने उत्पादन शुरू करने के लिए निश्चित समय सीमा प्रस्तुत करके 30 जून, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**यूनिट ने भूमि एवं बिल्डिंग प्लान, उपकरण तथा अवसंरचना के लिए 23.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने 6 माह के अंदर उत्पादन शुरू करने की समय सीमा भी प्रस्तुत की है।**

**यूनिट की प्रगति को नोट करने के बाद विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 4)।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(vi) 17 दिसंबर, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एपीआईआईसी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 17 दिसंबर, 2008 के माध्यम से एपीआईआईसी एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कुरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए जो 17 दिसंबर, 2012 तक वैध था।**

**यूनिट ने एक साल के अंदर उत्पादन शुरू करने के लिए निश्चित समय सीमा प्रस्तुत करके 17 दिसंबर, 2012 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**यूनिट ने 8,00,30,000 रुपए का निवेश किया है। उन्होंने भवन का सिविल कार्य तथा 100000 वर्गफीट के भवन स्पेस का निर्माण पूरा कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यूनिट की प्रगति को नोट किया है (अनुबंध 5) तथा एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मामले की सिफारिश इस शर्त के अधीन की है कि और विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(vii) मैसर्स साफ्टसोल इंडिया लिमिटेड जो मधुरवाड़ा, विशाखापत्तनम में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, को चार माह की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड का अनुरोध क्योंकि यूनिट ने प्रचालन शुरू कर दिया है**

**आईटी / आईटीईएस के प्रचालन के लिए उपर्युक्त यूनिट को 18 नवंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओपी की वैधता अवधि 17 नवंबर, 2009 तक वैध थी। इसे एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसरण में विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा 17 नवंबर 2012 तक बढ़ाया गया।**

**यूनिट ने अप्रैल 2013 में सूचित किया कि उन्होंने 15 अप्रैल, 2013 से प्रचालन शुरू कर दिया है।**

**एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसरण में एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने पर विचार करने का मामला अनुमोदन बोर्ड के दायरे में आता है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने उदार रुख अपनाया है तथा उपर्युक्त यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई है कि यूनिट ने 15 अप्रैल, 2013 से प्रचालन शुरू कर दिया है तथा निर्यात कर रही है (अनुबंध 6)।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(viii) 3 दिसंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में एलकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 04 दिसंबर, 2007 के माध्यम से मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय द्वारा तीन साल का समय विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक साल का चौथा विस्तार तथा 3 जून, 2013 तक 6 माह का पांचवां समय विस्तार प्रदान किया गया।**

**अब विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय में 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 3 दिसंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है। वैधता अवधि बढ़ाने के कारण इस प्रकार हैं :**

- **(i) यूनिट ने साफ्टवेयर विकास ब्लाक 1 के दो फ्लोर का कार्य पूरा कर लिया है तथा सिविल कार्य भी पूरा हो गया है।**
- **(ii) यूनिट 2013-14 की पहली तिमाही तक प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगी।**
- **(iii) इसने अब तक 55.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**एसईजेड के अधिकृत अधिकारी ने यूनिट के क्षेत्र में संचालित निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया है तथा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं (अनुबंध 7)**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(ix) 15 अगस्त, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो भडूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहु उत्पाद्द एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट को 16 अगस्त, 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 15 अगस्त 2013 तक वैध है।**

**यूनिट ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विभिन्न कारण एवं औचित्य प्रदान करते हुए दिसंबर 2015 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है जिसमें यह तथ्य शामिल है कि उन्होंने इंजीनियरिंग वर्कशॉप, पायलट प्लांट, यूटिलिटी जैसे कि एयर कंप्रेशर, बॉयलर आदि का निर्माण पूरा कर लिया है तथा यह भी कि उन्होंने प्लांट के प्रचालन के लिए भवन का निर्माण कर लिया है तथा उसे फिनिश करा लिया है। इसने 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। इसने अब तक 361 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 377 करोड़ रुपए के और निवेश की प्रतिबद्धता की है।**

**विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अनुरोध पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है (अनुबंध 8) तथा दिसंबर 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(x) 31 मार्च, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई, तमिलनाडु की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 28 मार्च, 2007 के माध्यम से मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए जो 31 मार्च 2013 तक वैध था।**

**यूनिट ने अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि उन्होंने 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा कर लिया है तथा दिसंबर 2013 तक अपना उत्पादन शुरू कर देंगे।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(xi) 29 मई, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध**

**एलओपी दिनांक 30 मई 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा दो विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 29 मई 2013 तक तीन विस्तार प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा पिछला विस्तार इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया कि अब कोई और विस्तार अनुमत नहीं होगा।**

**यूनिट ने अनेक तकनीकी एवं प्रशासनिक आधारों पर एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने अपनी परियोजना को पूरा करने के तथा 12 माह के अंदर इसे क्रियाशील करने के लिए अनुसूचित योजना प्रस्तुत की है।**

**विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने उसकी टिप्पणियों को नोट किया है कि (अनुबंध 9) तथा एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।**

**(xii) 15 अक्टूबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो भडूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहुत उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट को 16 अक्टूबर 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 15 अक्टूबर 2013 तक वैध है।**

**यूनिट ने 15 अक्टूबर 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।**

**यूनिट ने सूचित किया है कि दाहेज में पेट्रोरसायन परिसर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोरसायन परिसर है जिसका मूल्य लगभग 19500 करोड़ रुपए है तथा ऐसी परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि सामान्यतया लंबी होती है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि अवसंरचना विकास कार्य जो टर्नकी आधार पर सौंपा गया, पूरा हो गया है। क्रैकर यूनिट यांत्रिक दृष्टि से पूरी हो गई है। कुल मिलाकर 80 प्रतिशत प्रगति हुई है। चार साल की परिपक्वता अवधि वाली परियोजना के 2014 की दूसरी तिमाही तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है तथा इसके बाद उत्पादन आरंभ करने की अनुसूची निर्धारित की जा सकती है।**

**विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.7 : एलओपी के विविध विस्तार**

**(i) मैसर्स ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि 30 अप्रैल, 2013 तक बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड का प्रस्ताव**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा उपर्युक्त यूनिट को 19 मार्च 2009 को एलओपी जारी किया गया था। एलओपी की वैधता अवधि 19 मार्च, 2010 तक वैध थी। यूनिट को नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा मूल वैधता अवधि के बाद तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 18 मार्च 2013 तक वैध था।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपने पत्र दिनांक 28 फरवरी 2013 के माध्यम से यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है जिसमें 18 मार्च 2013 के बाद केवल 30 अप्रैल 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे अपना उत्पादन / निर्यात शुरू कर सकें।**

**वाणिज्य विभाग द्वारा मामले पर विचार किया गया तथा उपर्युक्त यूनिट की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि यूनिट उस तिथि तक उत्पादन आरंभ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।**

**अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2013 के माध्यम से यूनिट ने अपने पहले निर्यात के समर्थन में लदान बिल दिनांक 26 अप्रैल 2013 की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न की थी। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।**

**19 मार्च 2013 से 26 अप्रैल 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(ii) मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड झर्सुगुडा, ओडिशा में वेदांता एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि 8 अप्रैल 2014 तक बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव**

**विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा उपर्युक्त यूनिट को 9 अप्रैल 2009 को एलओपी जारी किया गया था। एलओपी की वैधता अवधि 9 अप्रैल, 2010 तक वैध थी। यूनिट को नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा मूल वैधता अवधि के बाद तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 8 अप्रैल 2013 तक वैध था।**

**अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी 2013 के माध्यम से विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए उपर्युक्त यूनिट के मामले की सिफारिश की है क्योंकि यूनिट अपना वाणिज्यिक उत्पादन बहुत शीघ्र शुरू करने के लिए पूर्णत: तैयार है तथा लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।**

**चूंकि एसईजेड आनलाइन सिस्टम लागू होने के कारण कच्चा माल / सामग्री के लेनदेन के संदर्भ में विकासक / यूनिटें मुश्किल समय से गुजर रही हैं इसलिए फाइल पर मामले की जांच की गई तथा 8 अप्रैल 2014 तक एक साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।**

**8 अप्रैल 2013 से 8 अप्रैल 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.8 : विविध मामले**

**(i) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डीटीए रिफाइनरी तथा आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध**

**एसईजेड से होते हुए पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए जामनगर (रिलायंस) एसईजेड के विकासक मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध 15 मार्च 2013 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार टिप्पणी की :**

**"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव एक डीटीए यूनिट से दूसरी डीटीए यूनिट को गैस के परिवहन से संबंधित है जिसके लिए अधिसूचित आरआईएल एसईजेड के माध्यम से मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस आधार पर आरओडब्ल्यू की मांग की गई है कि यह सबसे छोटा मार्ग है तथा वैकल्पिक मार्ग लंबा होने के अलावा इससे परियोजना में विलंब होगा, तकनीकी समस्याएं आएंगी तथा लागत बढ़ेगी। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया था जिसने परियोजना को अनुमोदित नहीं किया।**

**विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि वाणिज्य विभाग द्वारा इसमें शामिल मामले की पुन: जांच की जा सके।"**

**वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की पुन: जांच की गई तथा विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड से टिप्पणियां मंगाई गईं जिन्होंने सूचित किया कि उन्होंने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध का पूर्ण औचित्य प्रदान करने की मांग की है जो किसी स्वतंत्र सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र के साथ अब उत्तर दिनांक 6 अप्रैल 2013 प्राप्त हो गया है। सनदी इंजीनियर के उक्त प्रमाण पत्र तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवेदन की जांच करने पर विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया :**

**(i) सीई ने निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया है जो गैसीय हाइड्रोकार्बन की ढुलाई करने वाली किसी पाइप लाइन के सुरक्षित प्रचालन के लिए अनिवार्य हैं :**

- **न्यूनतम संभव स्तर पर पाइप लाइन में इनवेंटरी का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।**
- **पाइप लाइन यथासंभव सीधी होनी चाहिए ताकि पाइप लाइन में ज्वाइंट / बेंड की संख्या कम से कम हो सके। ज्वाइंट तथा बेंड से पाइप लाइन के विफल होने का जोखिम बढ़ जाता है; और**
- **पाइप लाइन वाहन के मूवमेंट वाली सड़कों से दूर तथा आवासीय क्षेत्र से भी दूर स्थित होनी चाहिए ताकि आपातकाल की स्थिति में संभावित क्षति न्यूनतम हो सके।**

**(ii) फर्म ने अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी 2013 के साथ प्रस्तावित पाइप लाइन का सांकेतिक मानचित्र भी प्रदान किया है जो 19 फरवरी 2013 को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा की गई सिफारिश का आधार था।**

विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड ने अपनी अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ फर्म एवं सनदी इंजीनियर के प्रतिवाद का समर्थन किया है कि एसईजेड क्षेत्र से बाहर पाइप रैक को ले जाने से ये पाइप लाइनें औद्योगिक क्षेत्र की चारदीवारी के करीब पहुंच जाएंगी जिससे अतिवादियों सहित शरारती तत्वों द्वारा बाहर से उन पर तोड़फोड़ एवं हमला किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि यह पाइप रैक मौजूदा एसईजेड पाइप रैक के समानांतर इंस्टाल किया जाएगा तथा किसी भी ढंग से एसईजेड के अंदर मूवमेंट बाधित नहीं होगा। यदि 19 फरवरी 2013 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा संस्तुत शर्तें आरोपित करके अनुमति प्रदान की जाती है तो ऐसा अनुमत है कि सरकार के हित की रक्षा होगी तथा राजस्व के किसी रिसाव की कोई संभावना नहीं होगी।

अपने पत्र दिनांक 18 मई 2013 के माध्यम से विकासक ने यह भी सूचित किया है कि प्रस्तावित एलाइनमेंट को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है तथा इससे परियोजना के लिए सुरक्षा एवं संरक्षा के जोखिम सबसे कम होंगे।

वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की पुन: जांच की गई तथा इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) सह विकासक के स्वामित्व के अंतरण के लिए मैसर्स फिनिक्स हाइटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगापल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अब उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। सह विकासक को एसईजेड के अंदर आईटी स्पेस के कुछ अंश का विकास करने तथा विकासक के साथ सह विकासक करार दिनांक 1 नवंबर 2010 के अनुसरण में इस प्रकार विकसित क्षेत्र का विपणन, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए भी 24 नवंबर 2010 को एलओए प्रदान किया गया था।

सह विकासक ने सूचित किया है कि अपनी नामित संस्थाओं में से एक के माध्यम से असेंडास इंडिया ट्रस्ट सिंगापुर सह विकासक करार की समान शर्तों एवं नियमों पर तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए आईटी / आईटीईएस के विकास, प्रचालन, विपणन एवं अनुरक्षण के लिए विकासक से शेयरों की खरीद के रूप में सह विकासक के उनके दर्जे का 100 प्रतिशत स्वामित्व अधिग्रहीत करने का इच्छुक है।

इसलिए सह विकासक ने असेंडास को शेयरों के अंतरण के रूप में अपने स्टेटस के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सह विकासक के अनुरोध को अग्रेषित किया है (अनुबंध 10)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(iii) वड़ोदरा, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग एवं अन्वेषण की गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध**

**उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित बहु उत्पद्व एसईजेड है जो 3121 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है।**

**2010 में ओएनजीसी वड़ोदरा ने विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड से अनुरोध किया था कि वे अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं अन्वेषण करने, चार लेन की सड़कों का निर्माण करने तथा केबल बिछाने के लिए अपनी एसईजेड भूमि को अनुमत करें। तथापि, अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई क्योंकि एसईजेड अधिनियम के तहत अधिकृत प्रचालन के रूप में ऐसी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं है।**

**वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा बृहद राष्ट्रीय हित में अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड को यह सुनिश्चित करने के लिए का निदेश दिया गया कि विकासक एसईजेड में अन्वेषण की गतिविधियों के लिए सभी सहयोग प्रदान करें। इसके अनुपालन में विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने विकासक को सूचित किया कि वे अन्वेषण की गतिविधियों के लिए ओएनजीसी को सभी सहयोग प्रदान करें।**

**आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा भी प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।**

**इसके बाद अनुमोदन के लिए अनुमोदन समिति की 20वीं बैठक के समक्ष विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड द्वारा प्रस्ताव रखा गया। समिति ने ड्रिलिंग / अन्वेषण की गतिवधियों को आगे बढ़ाने के लिए ओएनजीसी को अनुमति प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त द्वारा उठाए गए कदम की पुष्टि की तथा स्टर्लिंग एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित गतिविधियों के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया।**

**वाणिज्य विभाग में मामले की जांच की गई तथा इसे विचार करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(iv) एसईजेड की पूर्वी दिशा में एक अतिरिक्त फाटक लगाने के लिए मैसर्स बायोकान लिमिटेड जो केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव**

**35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा क्रियाशील है। विकासक ने सामग्री के मूवमेंट के लिए अपने एसईजेड की पूर्वी दिशा में दूसरा गेट लगाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक द्वारा प्रदान किए गए औचित्य को नोट किया है (अनुबंध 11) तथा मामले की जांच करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए मामले की सिफारिश की है।**

**विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(v) वृंदावन टेक विलेज एसईजेड (वीटीवी) से प्रिटेक पार्क एसईजेड में मैसर्स ऑकवेन फाइनेंसियल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की यूनिटों को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट ने अपनी यूनिटों को इस आधार पर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है कि दो साल के बीत जाने के बाद भी उसका विकासक न तो प्रतिबद्ध निर्मित स्पेस पट्टा पर देने की स्थिति में है और न ही सुविधा से प्रचालन के लिए अपेक्षित अन्य सहायक अवसंरचना प्रदान करने की स्थिति में है जिसकी वजह से उसकी यूनिटें निर्यात तथा रोजगार के सृजन से जुड़े अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी हैं तथा वे अपने व्यवसाय को भी काफी हद तक गंवा रही हैं।**

**प्रिटेक पार्क एसईजेड जहां यूनिट ने अपने ट्रांसफर के लिए प्रस्ताव किया है, के विकासक ने उनके अनुमोदित प्रचालनों के संचालन के लिए अपेक्षित स्थान पट्टा पर देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यूनिट ने प्रिटेक पार्क एसईजेड में नए लोकेशन से एलओए के अनुसार मौजूदा प्रचालनों को अबाध रूप से जारी रखने का भी वचन दिया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(vi) वृंदावन टेक विलेज एसईजेड (वीटीवी) से प्रिटेक पार्क एसईजेड में मैसर्स अल्टीसोर्स बिजनस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की यूनिटों को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट ने अपनी यूनिटों को इस आधार पर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है कि दो साल के बीत जाने के बाद भी उसका विकासक न तो प्रतिबद्ध निर्मित स्पेस पट्टा पर देने की स्थिति में है और न ही सुविधा से प्रचालन के लिए अपेक्षित अन्य सहायक अवसंरचना प्रदान करने की स्थिति में है जिसकी वजह से उसकी यूनिटें निर्यात तथा रोजगार के सृजन से जुड़े अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी हैं तथा वे अपने व्यवसाय को भी काफी हद तक गंवा रही हैं।**

**प्रिटेक पार्क एसईजेड जहां यूनिट ने अपने ट्रांसफर के लिए प्रस्ताव किया है, के विकासक ने उनके अनुमोदित प्रचालनों के संचालन के लिए अपेक्षित स्थान पट्टा पर देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यूनिट ने प्रिटेक पार्क एसईजेड में नए लोकेशन से एलओए के अनुसार मौजूदा प्रचालनों को अबाध रूप से जारी रखने का भी वचन दिया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(vii) अपनी एसईजेड यूनिट को फेज 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, पुणे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा विकसित दूसरे एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स सिनेक्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो एंबेसी टेक जोन, एमआईडीसी, फेज 2, हिंजेवाड़ी, महाराष्ट्र में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

उपर्युक्त यूनिट ने अपनी यूनिट को इस आधार पर रिलोकेट करने के लिए अनुरोध किया है कि उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है तथा वे अपनी यूनिट को रिलोकेट करना उचित समझते हैं। यूनिट एक लोकेशन पर अर्थात एमआईडीसी एसईजेड में अपने प्रचालनों को सुदृढ़ करना चाहती है। यूनिट ने यह भी बताया है कि रिलोकेशन के बाद जनशक्ति / व्यवसाय में कोई कटौती नहीं होगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) पास के आरएमजेड इकोवर्ल्ड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड, बंगलौर में अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करके उत्पादन की अपनी क्षमता में विस्तार के लिए मैसर्स सोनी इंडिया साफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएससीपीएल) जो वृंदावन टेक विलेज एसईजेड, बंगलौर की यूनिट है, का अनुरोध

वृंदावन टेक विलेज एसईजेड में उपर्युक्त यूनिट दो एलओपी की धारक है। साफ्टवेयर विकास के व्यवसाय में वृद्धि के कारण यूनिट इस एसईजेड में अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना चाहती है। तथापि, विकासकों से इसे प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है।

इसलिए यूनिट ने दूसरे एसईजेड अर्थात आरएमजेड इकोवर्ल्ड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में वृंदावन टेक विलेज एसईजेड के लिए जारी किए गए मौजूदा एलओपी के तहत अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि ऐसा होने पर उनको प्रचालन में कार्यात्मक लोच प्राप्त होगी (अनुबंध 12)।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि यद्यपि एसईजेड नियमावली के नियम 19 के तहत एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति मौजूदा किसी यूनिट की क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है परंतु नियमावली उसे एसईजेड के बाहर विस्तार की अनुमति प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती है। वर्तमान मामले में नए एसईजेड में नई यूनिट नया एलओए प्राप्त करेगी तथा मूल यूनिट में लाभ के लिए दावा किए जा चुके वर्षों की संख्या में कटौती के बाद आईटी लाभों के अपने दावे को सीमित करने के लिए भी सहमत है।

यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) अपने मंजूरी पत्र दिनांक 22 दिसंबर 2009 के (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तों को माफ करने के लिए मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर में नोकिया एसईजेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त सह विकासक को प्रत्येक के सामने उल्लिखित मात्रा के अधीन तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी उपर्युक्त एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया :

(क) अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और

(ग) नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | हॉस्पिटल | 4,010 | 4,010 (60 बिस्तर का) |
| 2. | कैंटीन | 49 | 49 |
| 3. | फार्मेसी | 13 | 13 |

सह विकासक ने इस आधार पर उपर्युक्त शर्तों को माफ करने के लिए पहले अनुरोध किया था कि केवल नोकिया एसईजेड तथा आसपास के एसईजेड में रोगियों की सेवा से हॉस्पिटल का प्रस्ताव अलाभप्रद हो जाएगा क्योंकि रोगियों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी। 9 अप्रैल 2010, 16 सितंबर 2010 और फिर 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की जांच की जाएगी। वाणिज्य विभाग ने सह विकासक से प्राप्त किए जाने के लिए संभावित ड्यूटी रियायतों की मात्रा प्रस्तुत करने के लिए कहा था। सह विकासक ने उनको सूचित किया कि यह 100 से 125 लाख की रेंज में हो सकता है। प्रस्ताव को 25 मार्च 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: रखा गया परंतु तमिलनाडु में विधान सभा का चुनाव होने के कारण आस्थगित कर दिया गया था।

अब सह विकासक ने बताया है कि वे अस्पताल के लिए कोई कोई कस्टम ड्यूटी रियायत प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तथा अब पुन: उन्होंने उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तों को माफ करने के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध बाहरी जनता, नोकिया के कर्मचारियों, इसकी सहायक यूनिटों तथा दुर्घटना एवं आपातकाल के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा एनएच से प्रस्तावित अस्पताल स्थल तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त फाटक के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि सह विकासक किसी ड्यूटी या कर लाभ का दावा नहीं करेगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(x) रासायनिक तथा कृषि रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

उपर्युक्त फर्म ने आईटीसी (एचएस) अध्याय 28, 29, 32, 34 और 38 के तहत आने वाले सभी प्रकार के रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया जिसमें विशेष रूप से आईटीसी (एचएस) कोड 3808 के तहत आने वाले कृषि रसायन जैसे कि पेस्टीसाइड, इंसेक्टीसाइड, हर्बीसाइड्स तथा फंगीसाइड्स शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं हैं (अनुबंध 13)।

27 जुलाई 2012 को दाहेज एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 41वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा हुई। समिति द्वारा यह पाया गया कि स्थानीय निकायों से अन्य अनुज्ञप्तियों के अलावा कृषि रासायनिक

उत्पादों के आयात के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) से आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 26 के परंतुक के अनुसार यदि किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी तो उसे अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अनुमत किया जाएगा।

18 जनवरी, 2013 को आयोजित 56वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध रखा गया जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णय लिया :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि बैठक में न तो कृषि मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही विचाराधीन मुद्दे पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि यह एसईजेड नीति के तहत परिकल्पित एकल खिड़की तंत्र की प्रक्रिया के विरुद्ध है। विचार विमर्श के बाद मामले को इस निर्णय के साथ आस्थगित कर दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक इनपुट अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा ऐसा न होने पर मेरिट के आधार पर मामले में निर्णय लिया जाएगा।"

इसके द्वारा मामले में अपनी टिप्पणियों के साथ 7 जून 2013 को अनुमोदन बोर्ड की बैठक में शामिल होने के अनुरोध के साथ एजेंडा कृषि मंत्रालय को भी परिचालित किया गया।

तद्नुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को 22 मार्च 2003 से एसईजेड स्कीम में फेरस / गैर फेरस / इलेक्ट्रिकल तथा अन्य स्क्रैप की रिसाकलिंग के लिए एलओपी दिनांक 4 अप्रैल 2000 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

यूनिट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संस्तुत निर्यात की मदों के लिए अपनी क्षमता को वर्तमान 1500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 मीट्रिक टन करने के लिए अनुरोध किया।

एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट के निष्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत किया था तथा सिफारिश की कि चूंकि यूनिट रिसाइकलिंग का कार्य कर रही है इसलिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

अनुमोदन बोर्ड की 56वीं बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया जिसमें निम्नानुसार निदेश दिया गया :

"क्षमता में वृद्धि के लिए अनुरोध के मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड ने मुद्दे को आस्थगित कर दिया तथा इस संबंध में एमएसएमई से विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया।"

**अपने यूओ नोट दिनांक 6 मई 2013 के माध्यम से एमएमएमई मंत्रालय ने बताया है कि चूंकि यह विषय 25 मदों (प्रस्ताव में उल्लिखित) के विनिर्माण से संबंधित है जो एसएसआई सेक्टर में विनिर्माण के लिए आरक्षित नहीं हैं इसलिए प्रदान करने के लिए उसके पास कोई टिप्पणी नहीं है (अनुबंध 14)।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए पुन: प्रस्तुत है।**

**(xii) डीटीए में यूनिट को सरप्लस स्टीम की आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो देवुनीपालावालासा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

**अब उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा क्रियाशील है।**

**विकासक ने सूचित किया है कि भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसईजेड में अधिक क्षमता का बॉयलर इंस्टाल किया है। अब उन्होंने बताया है कि इस समय केवल 2 टीपीएच स्टीम की आवश्यकता है जबकि बॉयलर 10 टीपीएस स्टीम का सृजन करेगा जिसका अभिप्राय यह है कि 8 टीपीएच स्टीम बर्बाद होगी। बर्बादी से बचने के लिए विकासक ने डीटीए में अपनी यूनिटों को स्टीम की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है तथा लागू ड्यूटी के भुगतान पर अपनी डीटीए यूनिटों को स्टीम की आपूर्ति के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(xiii) डीटीए में यूनिटों के लिए अपने केन्द्रीकृत जल एवं निस्सारी शोधन संयंत्र के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में एकीकृत टेक्सटाइल एवं अपैरल एसईजेड है, का अनुरोध**

**विकासक ने एसईजेड के कुछ क्षेत्र को तराशने तथा उसे डीटीए जोन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है ताकि एसईजेड की कुछ सहायक अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि जल शोधन संयंत्र तथा निस्सारी शोधन संयंत्र का उपयोग करके कुछ स्थानीय कंपनियों को आकर्षित किया जा सके।**

**विकासक ने सूचित किया है कि उनका जल शोधन संयंत्र कारखाना अधिनियम के तहत कारखाना के रूप में प्रमाणित है और इसलिए आउटपुट पेयजल है। एसईजेड अधिनियम लागू ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए को विद्युत की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है, इसी तरह डीटीए में यूनिटों को शोधित जल की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव को लागू ड्यूटी के भुगतान पर अनुमत किया जा सकता है।**

**निस्सारी शोधन संयंत्र के संबंध में विकासक ने सूचित किया है कि वे प्रस्तावित डीटीए यूनिटों से डिस्चार्ज किए गए निस्सारी का संग्रहण करेंगे तथा अनुमत शुल्क पर उसका शोधन करेंगे। सुविधा का उपयोग करने वाली डीटीए यूनिटें शोधन की प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायनों की आपूर्ति कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में बीआईएसी ऐसी सेवा प्रदान कर रहा है जिसके लिए सेवा कर वसूल किया जा सकता है यदि लागू समझा जाए।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड अधिनियम 2005 तथा एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव की जांच की है तथा पाया है कि ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक प्रावधान न होने के कारण यह अनुमत नहीं हो सकता है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 58.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील**

**(i) 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक द्वारा मौजूदा एलओपी में यूरिया के निर्यात व्यापार को शामिल करने के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील**

**मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड ने केएएसईजेड में एक यूनिट स्थापित की है। यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2012 के माध्यम से अपने मूल एलओपी दिनांक 19 अप्रैल 1992 में ट्रेडिंग के लिए नई मद अर्थात यूरिया को शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पास आवेदन किया।**

**यूनिट के प्रस्ताव को 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित केएएसईजेड की अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक में रखा गया जहां इसे अस्वीकार कर दिया गया।**

**यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 23 नवंबर 2012 जो वाणिज्य विभाग में 22 जनवरी 2013 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध 15) में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है।**

**15 मार्च, 2013 को आयोजित 57वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील रखी गई। तथापि, अपील आस्थगित कर दी गई क्योंकि आवेदक ने अपनी अपील को आस्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसका प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ था।**

**अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार के लिए पुन: प्रस्तुत है।**

***********